राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक : एफ 18 ( )अम्बे/सान्याअवि/07/ 6269 जयपुर, दिनांक 7/2/08

अम्बेडकर पुरस्कार योजना के दिशा-निर्देश

1. **प्रस्तावना** : राज्य सरकार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान कर इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए कृत संकल्प है। भारत रत्न डा. भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय सोच के अन्तर्गत पिछड़े लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन समर्पित किया। राज्य सरकार ने डा. अम्बेडकर के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके नाम से उनकी जयन्ती दिनांक 14.4.2005 को राज्य में सामाजिक सेवा, शिक्षा, महिला उत्थान एवं न्याय के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं को प्रति वर्ष अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था।

पुरस्कार : निम्नानुसार पुरस्कार दिये जायेगें :-

(1) **अम्बेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार** : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जायेगा :-

अ. व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी हो/ संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।

ब. जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठा का प्रमाण पत्र।

स. संस्था/ व्यक्ति कम से कम 5 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की सामाजिक सेवा में कार्यरत रही हो।

द. सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय भूमिका/ योगदान रहा हो।

य. संस्था/ व्यक्ति द्वारा समाज से आंशिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिए कार्य किये हो।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों/ संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में [illegible]क का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित व्यक्ति/ संस्था को [illegible] लाख एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(2) **अम्बेडकर महिला कल्याण पुरस्कार** : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाली महिला/ महिलाओं की संस्था को दिया जायेगा :-

अ. राजस्थान की मूल निवासी हो/ संस्था राजस्थान में पंजीकृत हो।

ब. जिला कलक्टर द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता का प्रमाण पत्र ।

स. संस्था/ महिला कम से कम 4 वर्ष से पंजीकृत होकर अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की महिलाओं के उत्थान हेतु कार्यरत रही हो।

द. महिला उत्थान के क्षेत्रो में भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ लक्षित वर्ग तक पहुचाने में उल्लेखनीय योगदान रहा हो।

य. संस्था/ महिला द्वारा समाज से आर्थिक सहायता लेकर अथवा स्वयं के स्त्रोतों से वंचित वर्ग के लिये कार्य किया हो।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाली संस्थाओं / महिलाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का चयन गठित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित संस्था/ महिला को रुपये 51 हजार एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

(3) अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार : राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 एवं 10+2 की परीक्षाओं मे कला, विज्ञान एवं वाणिज्य वर्गो में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी रुपये 51 हजार व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा। इस प्रकार इस वर्ग में प्रतिवर्ष 8 पुरस्कार दिये जावेगें।

(4) अम्बेडकर न्याय पुरस्कार : यह पुरस्कार निम्नानुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ता को दिया जायेगा :-

अ. राजस्थान का मूल निवासी हो।

ब. जिला कलक्टर एवं जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा उच्च चरित्र एवं उच्च प्रतिष्ठता प्रमाण पत्र।

स. अधिवक्ता कम से कम 10 वर्ष से वकालत हेतु पंजीकृत होकर अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों के न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय में निःशुल्क/ न्यून शुल्क पर पैरवी कर ऐसे प्रकरणों का निर्णयों सहित विवरण तथा इन निर्णयों से हुये प्रभाव :

द. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों एवं राजकीय सेवाओं के कार्मिकों के कल्याण के लिये प्रचलित अधिनियमों/ नियमों में कोई संशोधन करवाया हो/ नये अधिनियम/ नियम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका।

उक्तानुसार पात्रता रखने वाले अधिवक्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों में से एक का निर्धारित समिति द्वारा किया जायेगा तथा चयनित अधिवक्ता को रुपये 51 हजार प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जायेगा।

पुरस्कार चयन की प्रक्रिया : बिन्दु संख्या 2 में वर्णित पुरस्कारों के लिए पात्र व्यक्तियों में से उत्कृष्ट का चयन करने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी :

(1) **अम्बेडकर सामाजिक सेवा एवं अम्बेडकर महिला पुरस्कार** के लिए स्वयं व्यक्ति/ संस्था अथवा किसी अन्य प्रस्तावक द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान के एक अग्रणी समाचार पत्र में प्रत्येक वर्ष माह जनवरी में विज्ञापन के माध्यम से फरवरी के अन्त तक संलग्न परिशिष्ठ 'अ' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में **जिला कलक्टर के माध्यम से** आवेदन प्राप्त किये जायेगें। इन प्राप्त आवेदन पत्रों को निम्न समिति के समक्ष चयन हेतु प्रस्तुत किया जायेगाः

1. माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
4. निदेशक/ आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

उक्त समिति मार्च के प्रथम सप्ताह में बैठक कर उत्कृष्ट व्यक्ति/ संस्था का चयन करेगी। व्यक्तिगत पुरस्कार के लिए व्यक्ति विशेष की न्यूनत्तम आयु 40 वर्ष से कम पर स्वीकार्य नही होगा।

(2) **अम्बेडकर शिक्षा पुरस्कार** राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को प्रति वर्ष जनवरी में पत्र लिखकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वर्गो में कक्षा 10 एवं 10+2 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के नाम निम्न तालिका में प्राप्त किये जायेगें:

माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक परीक्षाः वर्ष .... अनुसूचित जाति जनजाति

नामांक	विद्यार्थी का नाम मय पता	पिता का नाम	विद्यालय का नाम	प्राप्तांक	प्रतिशत	सामान्य वरीयता सूची में स्थान

(3) अम्बेडकर सामाजिक न्याय पुरस्कार के लिए प्रतिवर्ष माह नवम्बर में एक अग्रणी राज्य स्तरीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कर राजस्थान मुल के अधिवक्ताओं/ प्रस्तावकों से निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ठ 'ब') में प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेगें। राजस्थान बार काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश अपने स्तर से भी इस पुरस्कार हेतु योग्य अधिवक्ताओं के विवरण निदेशालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भिजवा सकेगें। फरवरी के अंत तक प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर मार्च के प्रथम सप्ताह में निम्न समिति द्वारा उत्कृष्ट अधिवक्ता का चयन किया जायेगा :

1 मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार
2 रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय
3 प्रमुख शासन सचिव, राजस्व,
4 विधि सचिव, राजस्थान सरकार
5 अध्यक्ष, बार काउन्सिल राजस्थान उच्च न्यायालय
6 प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
7 आयुक्त/ निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

4 **पुरस्कार सीमा :** एक व्यक्ति / संस्था को अपने जीवन काल में एक ही बार अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा परन्तु यह शर्त राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 मे सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उन विद्यार्थियों पर लागू नही होगी जो कक्षा 10+2 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते है। जिस व्यक्ति या संस्था को 15 अगस्त / 26 जनवरी पर राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्मानित किया जा चुका है उसे अम्बेडकर पुरस्कार से सम्मानित नही किया जायेगा।

5 पुरस्कार दिये जाने की तिथि व स्थान : ये पुरस्कार अम्बेडकर जयन्ती पर दिये जायेगें तथा स्थान का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जयन्ती मनाये जाने से पूर्व किया जाकर समाचार पत्रों के माध्यम से सम्बंधित व्यक्तियों/ संस्थाओं एवं आमजन को सूचित किया जायेगा।

6 इन पुरस्कारों में यदि किसी प्रतिष्ठित संस्था / व्यक्ति जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण में संलग्न हो और आवेदन नही किया हो तो भी राज्य सरकार स्वयं के स्तर से भी उन्हें अम्बेडकर पुरस्कार दिये जाने हेतु [illegible] को दृष्टिगत रखते हुऐ पुरूष्कृत करने का निर्णय ले सकेगी।

7 इन पुरस्कारों के दिये जाने की प्रारम्भ से अन्त तक की प्रक्रिया में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में विभाग का निर्णय अंतिम होगा!

प्रमुख शासन सचिव

(16) (7)

क्रमांक : एफ 18 ( )अम्बे/सान्याअवि/07/ 6270-400 जयपुर, दिनांक : 7-2-08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ...
8. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. जिला कलक्टर ....
10. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
11. अध्यक्ष, बार काउन्सिल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/ जोधपुर।
12. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. उपनिदेशक/ सहायक निदेशक/ जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ....
14. आदेश पत्रावली।

आयुक्त एवं शासन सचिव